भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 508

(जिसका उत्तर मंगलवार, 01 मार्च, 2016 को दिया जाना है)

सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा सीएसआर बाध्यताओं का पूरा किया जाना

508. श्री शादी लाल बत्रा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा अपनी बाध्यताओं को पूरा करने संबंधी कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को शामिल करने संबंधी सीएसआर के मानदंडों को संशोधित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सीएसआर के अधीन कंपनियों की गतिविधियों तथा उनके द्वारा निधियों के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) और (ख) : उन 460 सूचीबद्ध कंपनियों के सीएसआर व्यय, जिन्होंने अपनी वेबसाइटों पर वार्षिक रिपोर्ट रखी है, दर्शाते हैं कि 51 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) और 409 निजी क्षेत्र कंपनियों ने 2014-15 के दौरान सीएसआर पर कुल 6,337 करोड़ रुपए व्यय किए हैं, जिसका सारांश नीचे दिया गया है -

वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कंपनी का प्रकार	कंपनियों की संख्या	वास्तविक सीएसआर व्यय
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	51	2386.60

2	निजी क्षेत्र कंपनियां	409	3950.76
योग		**460**	**6337.36**

....2/-

(ग) और (घ) : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में उन कार्यकलापों की सूची है जो कंपनियों द्वारा उनकी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीतियों के अंतर्गत चलाए जा सकते हैं। मद संख्या (x) में ग्रामीण विकास परियोजनाएं शामिल पहले से हैं जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3) और (4) के अनुसार कंपनी की सीएसआर समिति और बोर्ड सीएसआर कार्यकलापों की निगरानी और कंपनियों की सीएसआर निधि के उपयोग के लिए जवाबदेह है। अधिनियम की धारा 134(3)(ण) में बोर्ड के लिए अपनी रिपोर्ट में कंपनी द्वारा तैयार की गई सीएसआर नीति और उसके कार्यान्वयन का प्रकटीकरण करना अनिवार्य किया गया है।

*****